

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा

क्रमांक : ०४

दिनांक : 6/10/2026

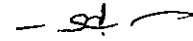
निविदा सूचना

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा, कार्यालय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (म.उ. प्र.), भीलवाड़ा, कार्यालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा, कार्यालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा, जिला-भीलवाड़ा एवं कार्यालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा हेतु आवश्यकतानुसार नवीन कम्प्यूटर, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन/फर्नीचर/एयर कंडीशनर कय किये जाने हैं। इसके लिये सक्षम अधिकारी के अधीन वस्तु एवं सेवाकर में पंजीकृत ऐसी फर्म जो किसी भी राजकीय संस्थान/उपक्रमों से बोली लगाने से विवर्जित/ब्लैक लिस्टेड नहीं हो, फर्मों से खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती है जिसकी विस्तृत जानकारी <http://www.SPPP.rajasthan.gov.in> व <https://bhilwara.dcourts.gov.in> पर देखी व डाउनलोड कर भरी जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	आपूर्ति की जाने वाले उपकरण की मात्रा	अनुमानित लागत (राशि लाखों में)	बोली प्रतिभूति	निविदा शुल्क राशि	निविदा जारी करने की तिथि	निविदा शुल्क राशि एवं धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि व समय	निविदा खोलने की तिथि व समय
1.	ऑल इन वन डेस्कटॉप कम्प्यूटर	04	5.60	रु. 14,200	रु. 500 /—	06.10.2026	16.10.2026 (1: Pm)	16.10.2026 (1:30 Pm)
	लेज़र प्रिंटर	04						
	फोटोकॉपी मशीन	02	1.50					
2.	फर्नीचर/रू-टील फर्नीचर	बिड डॉक्यूमेंट के अनुसार	6.60	रु. 13,200	रु. 500 /—	06.10.2026	16.10.2026 (1: Pm)	16.10.2026 (1:30 Pm)
3.	एयर कंडीशनर 1.5 टन	04	2.90	रु. 5,800 /—	रु. 500 /—	06.10.2026	16.10.2026 (1: Pm)	16.10.2026 (1:30 Pm)
	एयर कंडीशनर 2.0 टन	02						

निविदा शर्त :-

01. किसी भी निविदा/बोली को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार इस संस्था के पास सुरक्षित है।
02. निविदा संबंधी पूर्ण जानकारी कार्यालय लेखानुभाग, जिला एवं सेशन न्यायालय, भीलवाड़ा में आकर देखी जा सकती है।
03. निविदा शुल्क का डी.डी./बैंकर चैक ही स्वीकार्य है।
04. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क एवं प्रतिभूति राशि पृथक- पृथक डी.डी./बैंकर्स चैक "DISTRICT AND SESSION JUDGE BHILWARA" के नाम से जमा करवाना होगा।

—  —

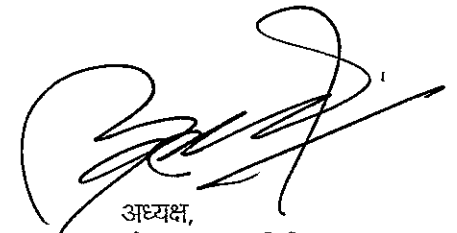
अध्यक्ष,
नवीन आईटम कय समिति,
जिला एवं सेशन न्यायालय,
भीलवाड़ा

दिनांक 06/10/26

क्रमांक : 489-493

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

01. सूचना पट्ट, कार्यालय हाजा
02. सूचना पट्ट, कार्यालय जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा
03. सूचना पट्ट, सूचना केन्द्र भीलवाड़ा
04. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर
05. कार्यालय प्रति


अध्यक्ष,
नवीन आईटम कय समिति,
जिला एवं सेशन न्यायालय,
भीलवाड़ा

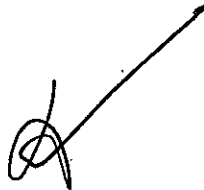
वित्तीय बोली प्रपत्र

1.	कार्यालय का नाम	जिला एवं सेशन न्यायालय, भीलवाड़ा
2.	बोली संख्या	
3.	बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पता	
4.	मोबाईल नंबर	
5.	ई-मेल आई.डी.	

S.No.	Specification	Number of Quantity/Make	To be filled by Bidder
			Name of MFG trade name/make & model no./product no.
Supply & installation of Air Conditioner with Stabilizer			
1.	Specification of 1.5 Ton Inverter Air Conditioner <ul style="list-style-type: none">Energy Rating - Minimum 3 Star	04 QTY (DAIKIN/VOLTAS/O'GENERAL OR SIMILAR BRAND)	
2.	Specification of 2.0 Ton Inverter Air Conditioner <ul style="list-style-type: none">Energy Rating - Minimum 3 Star	02 QTY (DAIKIN/VOLTAS/O'GENERAL OR SIMILAR BRAND)	

नोट—

- बोलीदाता को बोली प्रस्तुत करने से पूर्व बोली दस्तावेजों की समस्त शर्तों का भली-भांति अध्ययन कर लेनी चाहिये एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।
- प्रस्तुत की गई दरें समस्त प्रकार के कर, प्रभार सहित एवं एफ.ओ.आर. कार्यालय : अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (म.उ.प्र.), भीलवाड़ा, कार्यालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा, कार्यालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा, जिला-भीलवाड़ा एवं कार्यालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा के लिये होगी।



निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा

तकनीकी निविदा प्रपत्र

S.No.	Particulars	Detail
1.	निविदा सूचना संख्या	
2.	निविदा का नाम	नवीन कम्प्यूटर, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन/फर्नीचर/एयर कंडीशनर कय
3.	निविदा किसको सम्बोधित की गई	श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा
4.	संदर्भ	कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायालय, भीलवाड़ा के पत्रांक.....दिनांक
5.	निविदा दाता फर्म का नाम पता मय दूरभाष मोबाईल नं.	
6.	निविदा प्रपत्र शुल्क	डीडी/बैंकर चैक 1. संख्या 2. दिनांक 3. राशि
7.	निविदा धरोहर राशि	डीडी/बैंकर चैक 1. संख्या 2. दिनांक 3. राशि
8.	फर्म का जीएसटी नम्बर (प्रमाण पत्र संलग्न है)	
9.	फर्म का माह गत 3 माह का जीएसटी बकाया नहीं होने का सर्टिफिकेट (प्रमाण पत्र संलग्न है)	
10.	पेन नम्बर (प्रमाण पत्र संलग्न है)	

- विवर्जित (Debarred) संबंधित घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में..... (संलग्न है)हां/नहीं.....
- तकनीकी बिड (सभी बांधित दस्तावेज) हेतु अलग बंद लिफाफाहां/नहीं.....
- वित्तीय बिड (निर्धारित दर—प्रपत्र ही बंद लिफाफे में) हेतु अलग बंद लिफाफाहां/नहीं.....
- मैं/हम निविदा सूचना में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए सहमत है तथा निविदा सूचना की अन्य शर्तों जो संलग्न पृष्ठी में दी गई है (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप, हस्ताक्षर कर दिये हैं) का भी पालन करने के लिए मैं/हम सहमत है।

नोट— उपरोक्त प्रपत्र निविदादाता द्वारा भरा जाना है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

घोषणा-पत्र

बोली/निविदा की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है। वास्तव में बोली/निविदा में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित/सामग्री/सेवा मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध हैं तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 46 एवं नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित (Debarred) नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहत किया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

“GOODS AND SERVICE TAX DECLARATION”

(TO BE SUBMITTED WITH TECHNICAL BID)

I, certify that the goods on which GST has been charged are not exempted under the GST act, or the rules made there under and the amount charged on account of GST is not more than what is payable under the provision of GST act or the rules made there under.

Certify that we M/s are registered in the (State or Union Territory).

Signature of the
Bidder with seal



**CERTIFICATE OF CONFORMITY / NO
DEVIATION (to be filled by the bidder)**

To,

श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय,
भीलवाड़ा, राजस्थान

CERTIFICATE

This is to certify that] the specifications of subject matter of bid document which I/We have mentioned in the Technical bid] and which I/We shall supply if I/We am/are awarded with the work] are in conformity with the minimum specifications of the Commodity/Goods/Item/Works/Services mentioned in the bidding document and that there are no deviations of any kind from the required specifications-

1. Also, I/We have thoroughly read the bidding document, RTPP ACT, 2012 and thereto Rules] 2013 and amendment(s) issued (available on) by signing this certificate, we hereby submit our token of unconditional acceptance to all the terms & conditions of the bidding document without any deviations-
2. I/We also certify that the price I/We have quoted is inclusive of all the cost/service factors involved in subject matter of bid document] to meet the desired Standards set out in the bidding Document-
3. I/We declare that work/items/services etc- Rendered shall be conforming to the specifications mentioned in the Bid Document and to the ECI norms/guidelines/circulars-

Thanking you,

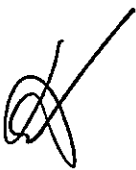
Name of the Bidder: _____

Authorised Signatory: _____

Seal of the Organization: _____

Date: _____

Place: _____





निविदादाता के हस्ताक्षर मय
फर्म की मुहर

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से खत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा।

भैं/ हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि भैंने/हमने जिन मालों/स्वीस/उपकरण के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/भैं/हम, बोनफाईड विनिर्माता/शोक विक्रेता/सेल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सील सैलिंग/ विपणन एजेंट हूँ/हैं।

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा

निविदा शर्तें

01. इच्छुक फर्म को अपनी बोली दो अलग - अलग उचित रूप से बंद लिफाफों में निर्धारित समय तक कार्यालय में प्रस्तुत करनी है। एक लिफाफे में तकनीकी बिड एवं दूसरे लिफाफे में वित्तीय बिड प्रस्तुत करनी है।

अ. तकनीकी बिड लिफाफे में निम्न दस्तावेज देने/संलग्न करने हैं-

1. निविदा शुल्क रु. 500/- का डी.डी./बैंकर चैक "DISTRICT AND SESSION JUDGE BHILWARA" के नाम से देय होगा, जो कि प्रत्येक बोलीदाता हेतु "NON REFUNDABLE" है।
2. प्रतिभूति राशि (N.I.B. में अंकित अनुसार) डी.डी./बैंकर चैक के माध्यम से "DISTRICT AND SESSION JUDGE BHILWARA" के नाम से देय होगा। सफल निविदादाता द्वारा परफॉर्मेंस सिक्यूरिटी (अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत) डी.डी./बैंकर चैक के माध्यम से "DISTRICT AND SESSION JUDGE BHILWARA" के नाम से देय होगा। सभी बोलीदाताओं को प्रतिभूति राशि निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने पर पुनः लौटा दी जावेगी।
3. सम्पूर्ण टेण्डर डॉक्यूमेन्ट (निविदा फार्म, शर्तों व संलग्न दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय सील लगी हो।
4. जी.एस.टी., पंजीयन प्रमाण पत्र (स्व प्रमाणित संलग्न करना है)
5. पैन कार्ड (स्वयं प्रमाणित संलग्न करना है)
6. पते का प्रमाण (स्वयं प्रमाणित संलग्न करना है)
7. नॉन डिबार/ब्लैक लिस्ट ना होने का प्रमाण पत्र

ब. वित्तीय बिड - वित्तीय बिड लिफाफे में केवल वित्तीय बिड में दरें भरकर हस्ताक्षर मय सील करने देना है।

स. तकनीकी बिड वाले लिफाफे पर "तकनीकी बिड कम्प्यूटर, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन/फर्नीचर/एयर कंडीशनर कय" एवं वित्तीय बिड वाले लिफाफे पर "वित्तीय बिड कम्प्यूटर, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन/फर्नीचर/एयर कंडीशनर कय" लिखा जाना होगा एवं अपनी फर्म का नाम लिखें।

द. वित्तीय बिड केवल उन्हीं बोलीदाताओं की खोली जायेगी जो तकनीकी बिड में सफल होंगे।

02. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम व इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, दिशा-निर्देश, आदेश आदि प्रभावी रहेंगे।

03. सफल निविदादाता को नियमानुसार 7 दिवस में 500/- रु. के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर करार पत्र व कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के

स. विवादास्पद मदों के संबंध में राशि के दस प्रतिशत से पच्चीस प्रतिशत को रोका जावेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने के पश्चात् उसका भुगतान कर दिया जावेगा।

द. जिन मामलों में परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जावेगा जब उनका परीक्षण कर लिया जावेगा तथा प्राप्त हुए परीक्षण विहित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होंगे।

11. सेवा/सामग्री आपूर्ति सम्बन्धित कार्यालय में कार्यस्थल पर कार्यालय समय (10:00 ए.एम. — 05:00 पी.एम. के मध्य) उच्च प्राथमिकता से सप्लाई करनी होगी।
12. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा।
13. बंद लिफाफे में प्राप्त बोलियों को निर्धारित समयानुसार उपस्थित बोलीदाताओं अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष नवीन आईटम क्व समिति, जिला एवं सेशन न्यायालय, भीलवाड़ा द्वारा खोला जावेगा। निर्धारित समय में कोई बोलीदाता अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने पर उपापन समिति द्वारा बिना किसी इंतजार किये निर्धारित समय पर कार्यालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01, भीलवाड़ा में खोला जावेगा। यदि उक्त दिवस को राजकीय अवकाश रहता है तो आगामी कार्यदिवस को निविदा खोली जावेगी।
14. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र भीलवाड़ा होगा।
15. आपूर्ति की जा रही सामग्री निर्धारित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर ऐसी सामग्री को आपूर्तिकर्ता के जोखिम पर रद्द कर दिया जावेगा, जिसे आपूर्तिकर्ता अपने खर्च पर बदलकर आपूर्ति करेगा।
16. आपूर्ति आदेश के अनुसार सामग्री सही स्पेसिफिकेशन (मापदण्ड) के अनुसार प्राप्त होने पर फर्म को नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।
17. एम.एस.एम.ई. में पंजीकृत फर्मों को उक्त का पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर निविदा प्रपत्र, निविदा एवं प्रतिभूति राशि में नियमानुसार छूट दी जायेगी।
18. सभी निविदाएं लेखा शाखा, जिला एवं सेशन न्यायालय, भीलवाड़ा में प्रस्तुत करनी होगी। निर्धारित समय पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
19. स्पेसिफिकेशन में अंकित निर्धारित सामग्री को कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा, कार्यालय : अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (म.उ.प्र.), भीलवाड़ा, कार्यालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करेड़ा, जिला भीलवाड़ा एवं कार्यालय : सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा तक F.O.R. उद्धृत की जानी है, दी जाने वाली दरों में अनुषांगिक प्रभारों (Incidental Charges), समस्त करों एवं समस्त प्रकार के व्ययों को शामिल किया जाना चाहिये।

घोषणा-पत्र

बोली/निविदा की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है। वास्तव में बोली/निविदा में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित/सामग्री/सेवा मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध हैं तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 46 एवं नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित (Debarred) नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहत किया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

“GOODS AND SERVICE TAX DECLARATION”

(TO BE SUBMITTED WITH TECHNICAL BID)

I, certify that the goods on which GST has been charged are not exempted under the GST act, or the rules made there under and the amount charged on account of GST is not more than what is payable under the provision of GST act or the rules made there under.

Certify that we M/s are registered in the (State or Union Territory).

Signature of the
Bidder with seal



रूप में नियमानुसार राशि का डी.डी./बैंकर चैक देना होगा जो कि "DISTRICT AND SESSION JUDGE BHILWARA" के नाम हो एवं भीलवाड़ा में पेयेबल हो।

04. बोलियों का अपवर्जन — अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।

05. किसी भी निविदा बोली को बिना कारण बताएं स्वीकृत, अस्वीकृत एवं निरस्त करने का पूर्ण अधिकार इस संस्था के पास सुरक्षित है।

06. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security):-

अ. बोली आमंत्रण में अंकित सेवा/सामग्री की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा/सामग्री के प्रदाय की अनुमानित राशि की नियमानुसार राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा कराना होगा।

ब. रु. 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन 7 दिवस में करना होगा। करारपत्र के स्टाम्प का खर्च बोलीदाता को वहन करना होगा।

स. सफल बोली लगाने वाले को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी।

द. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

07. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit):- कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा:-

क. जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

ख. जब बोलीदाता सम्पूर्ण सामग्री सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

ग. जब बोलीदाता सामग्री सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सामग्री की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जावेगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

08. वैधता:- निविदाएं, निविदाओं में प्रस्तुत दरें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये विधि मान्य होगी।

09. बोलीदाता को निविदा/बोली में भाग लेने हेतु जी.एस.टी. में पंजीयन होना अनिवार्य है। इसके अभाव में उसकी बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. भुगतान:-

अ. नगद अग्रिम भुगतान किसी भी स्थिति में नहीं किया जावेगा।

ब. सामान की सुपुर्दगी संतोषप्रद तरीके से करने के बाद सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जावेगा।

20. स्वीकृत निविदादाता द्वारा सामग्री की गारंटी अवधि में तकनीकी अथवा अन्य समस्या के हल हेतु स्वयं के स्तर पर ऑनसाइट अविलंब सेवा प्रदान की जावेगी।
21. स्वीकृत निविदादाता को सभी सामग्री अच्छी क्वालिटी व अच्छी मेक की देनी होगी। स्वीकृत निविदादाता को सामग्री की व्यवस्था उपापन समिति की आवश्यकतानुसार अविलंब करनी होगी। आवश्यक समझे जाने पर निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सामग्री की जांच की जा सकेगी एवं सैम्पल मंगवाया जा सकेगा जिसका व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा।
22. सामग्री की आपूर्ति कार्यादेश में अंकित समयावधि व विनिर्दिष्ट स्थान पर निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्च पर की जावेगी। किसी भी सामग्री के ट्रांसपोर्टेशन में स्वयं निविदादाता का उत्तरदायित्व होगा।
23. निविदादाता के लिये यह समझा जायेगा कि उसके द्वारा प्रदाय की जाने वाली वस्तु की दशा स्पेसिफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राइंग्स आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली गई है। यदि उसे उन शर्तों के किसी भाग स्पेसिफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राइंग्स आदि के आशय के बारे में कोई संशय हो तो वह केता अधिकारी से स्पेसिफिकेशन प्राप्त करेगा।
24. निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिये विनिर्दिष्ट समय को संविदा के रूप में समझा जावेगा तथा निविदादाता केता अधिकारी से स्पष्ट आदेश प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर आपूर्ति करेगा।
25. परिसमापित नुकसान (Liquidated damages) के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि ना करके मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिये की जायेगी, जितनी अवधि निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा—
 - क. विहित सुपुर्दगी की एक चौथाई अवधि के विलंब के लिये द्वाइ प्रतिशत (2.50 %)
 - ख. एक चौथाई अवधि से अधिक किंतु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिये पांच प्रतिशत (5.00 %)
 - ग. आधी अवधि से अधिक किंतु विहित अवधि के तीन चौथाई अवधि से अनाधिक के लिये साढ़े सात प्रतिशत (7.50 %)
 - घ. विहित अवधि की तीन चौथाई से अनाधिक के विलंब के लिये दस प्रतिशत (10.00 %)
 - ड. विलंब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।
 - च. परिसमापित क्षति की अधिकतम राशि दस प्रतिशत (10.00 %) होगी।
26. देय भुगतान में से नियमानुसार स्रोत पर आयकर (TDS) की कटौती की जावेगी।
27. न्यूनतम बोलीदाता (एल-1) द्वारा कार्य करने में असमर्थ होने पर समान दर पर द्वितीय न्यूनतम बोलीदाता (एल-2) को कार्य दिया जा सकेगा तथा न्यूनतम बोलीदाता (एल-1) से बोली प्रतिभूति राशि/सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त की जाकर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शित अधिनियम, 2012 नियम, 2013 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

28. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नहीं सौंपेगा या भाड़े (Sub-let) पर नहीं देगा।
29. मूल्यांकन की कसौटी — तकनीकी — वाणिज्यिक बोली में सफल/क्वालिफाईड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/क्वालिफाईड बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।
30. क्रय की जाने वाली सामग्री की मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है।
31. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना सैम्पल पर सैम्पल मद का नाम, साइज, सम्पूर्ण स्पेसिफिकेशन, मेक, वजन तथा बोलीदाता फर्म का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या तथा सैम्पल प्रस्तुत करने की दिनांक व आवश्यक विवरण इत्यादि स्थायी कागज पर लिखकर प्रस्तुत हों तथा सैम्पलों पर उपयुक्त रूप से चिह्नित किया जाएगा ताकि समान/समकक्ष सैम्पल से अदला-बदली नहीं हो सके।
32. न्यूनतम दरदाता फर्म द्वारा निर्धारित अवधि में नमूना सैम्पल प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उसे असफल बोलीदाता घोषित किया जाकर अगले न्यूनतम दरदाता फर्म से नमूना सैम्पल प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया जाएगा। यह क्रम अगले न्यूनतम दरदाता फर्म से निरन्तर अपनाया जाएगा।
33. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम-73 के अनुसार उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपापन नहीं करती है तो या बोली दस्तावेज में अंकित मात्रा से कम उपापन करती है तो बोलीदाता या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त मदों या परिमाण के लिए पुनरादेश दिया जा सकेगा। पुनरादेश के लिए आपूर्ति अवधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। पुनरादेश की मात्रा मूल संविदा के माल के मूल्य के 50 प्रतिशत तक होगी।
34. सफल बोलीदाता करार के निष्पादन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा—
 - (1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति।
 - (2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्टर ऑफ फर्मस के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संबंधी दस्तावेज की प्रति।
 - (3) एकमात्र स्वामी के मामले में आवास, कार्यालय व कार्यशाला का पता व टेलीफोन/मोबाइल नम्बर।
 - (4) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
35. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है अथवा किसी आइटम के क्रय करने/न करने के संबंध में क्रय समिति को पूर्ण अधिकार होगा।
36. सफल बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना की तिथि से सात दिवस में राजस्थान सार्वजनिक खरीद नियम-70(7) एवं 76(2) के अनुसार अपेक्षित मूल्य रुपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एस.आर.-17 प्रारूप के करार निष्पादित कर, कार्यादेश राशि की 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) राशि एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

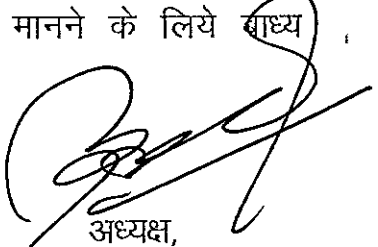
भीलवाड़ा के पक्ष में जमा करवानी होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। सामग्री की सप्लाई संतोषजनक एवं नियत अवधि में नहीं होने की स्थिति में जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) राशि जब्त कर ली जाएगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति संपूर्ण आपूर्ति त्रुटि रहित संतोषपूर्ण होने के पश्चात् 02 (दो) माह में लौटाई जा सकेगी।

37. यदि बोलीदाता द्वारा किसी अन्य विभाग/कार्यालय में बोली में अधिक सामग्री की निविदा किया गया हो तो ऐसे विभाग/कार्यालय के नाम भी प्रस्तुत किए जावें।
38. स.वि.वि.वि. भाग-ग के एस.आर. प्रारूप-16 एवं वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र संख्या 3/2013 दिनांक 04.02.2013 के संलग्नक (एनेक्सचर ए से डी) की सम्पूर्ण शर्तें उक्त उपापन पर प्रभावी रहेंगी।
39. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह माना जायेगा कि उसने प्रदाय करने वाली मदों के स्पेसिफिकेशन, साइज, मेक आदि की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद ही दरें उद्यत की गई हैं। यदि उसे इनमें से किसी भाग, स्पेसिफिकेशन, साइज, मॉडल आदि के आशय के बारे में कोई संदेह हो तो दर डालने से संबंधित पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व क्रेता अधिकारी/उपापन संस्था से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है।
40. जिन मदों पर वारंटी/गारंटी शब्द लागू होगा उन मदों के लिए बोलीदाता इस आशय की गारंटी/वारंटी देगा कि वारंटी/गारंटी से सम्बन्धित विषयवस्तु /सामग्री सुपुर्दगी की दिनांक से विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी। इस तथ्य के बाद भी उक्त मदों के भौतिक निरीक्षण/परीक्षण पर उक्त विनिर्दिष्ट गुणवत्ता की नहीं होने पर उक्त मदों को उपापन समिति/न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकेगा। रद्द की गई सप्लायर/विक्रेता के सामग्री/वस्तु के जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। सप्लायर को गारंटी/वारंटी अवधि में जब भी ऐसा करने के लिये कहा जायेगा, वह उस माल/सामग्री को बदलने अथवा दोष सुधार करने के लिये तत्पर रहेगा अन्यथा बोलीदाता ऐसी नुकसान का भुगतान करेगा जो इसमें दी गई गारंटी/वारंटी की शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी।
41. परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूट-फूट, रद्द की गई मदों/सामग्री के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूट-फूट, रद्द किए गए सामानों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति के साथ वसूली उसके देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध बोली कार्यसंपादन प्रतिभूति से की जावेगी।
42. वित्तीय बोली खोलने के बाद आवश्यकता हुई तो RTPP नियम 69(2) के अनुसार न्यूनतम दरदाता से वार्तालाप (नेगोशिएशन) किया जा सकेगा, किन्तु नेगोशिएशन बोली लगाने वाले द्वारा दिए गए मूल प्रस्ताव को प्रभाव हीन नहीं करेगी।
43. उपापन समिति या उसका नामित प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर यथा आवश्यक होने पर प्रदायकर्ता के परिसर/कार्यशाला में जाएगा तथा उसे

विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चित किया जाएगा, सभी युक्तियुक्त समयों पर कय मदों की सामग्री एवं कर्मकौशल (workmanship) का निरीक्षण एवं जांच करने की सम्पूर्ण शक्तियां होंगी।

44. The designation and address of the First Appellate Authority is Additional District & Sessions Judge No. 02, Bhilwara. The designation and address of the Second Appellate Authority is District & Sessions Judge, Bhilwara.

उपर्युक्त समस्त शर्तें अनुमोदित बोलीदाता के साथ निष्पादित करार पत्र का भाग समझी जावेगी जिन्हें अनुमोदित बोलीदाता मानने के लिये बाध्य होगा।


अध्यक्ष,
नवीन आईटम कय समिति,
जिला एवं सेशन न्यायालय,
भीलवाड़ा

प्रमाण — पत्र

बोली प्रस्तुत करने से पूर्व हमारे द्वारा बोली दस्तावेजों की समस्त शर्तों का भली भांति अध्ययन कर लिया है एवं हम निविदा की उपरोक्त समस्त शर्तों को मानने हेतु बाध्य रहेंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता
(मय सील सहित पूर्ण पता)



Annexure A - Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any Information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in an bidding process if, including but not limited to;

- (a) have controlling partners/shareholders in common; or
- (b) receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- (c) have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- (d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- (e) the bidder participates in more than one Bid in abiding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- (f) the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- (g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date:

Place :

Signature of Bidder

Name:

Designation:

Address:



Annexure B - Declaration by The Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bid No. Dated..... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bidding document;
3. I/We are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place :

Signature of Bidder
Name:
Designation:
Address:



Annexure C - Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the Appellate Authority

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para(1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para(2), or if the Bidder or prospective bidder of the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement;
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para(1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any. Affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

Date:
Place :

Signature of Bidder
Name:
Designation:
Address:



(6) Fee for Filing Appeal

- (a) Fee for filing appeal shall be rupees two thousand five hundred, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft of banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the Appellate Authority, as the case may be, shall,-
 - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date:
Place :

Signature of Bidder
Name:
Designation:
Address:



Annexure D - Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetic errors.

Provided that Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis, namely: -

- (a) if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- (b) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- (c) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (a) and (b) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to vary Quantities.

- (a) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or service originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (b) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (c) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not more than 50% of the value of Goods of the original contract on same terms and conditions. If the suppliers fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one bidder at the time of award.

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, then in such cases, the quantity may be divided between the Bidders, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.



AGREEMENT (See Rule 68)

(On non-judicial Stamp Paper of Rajasthan Government of the value as per S.R.-16)

An agreement made this _____ day of _____ between _____
_____ (hereinafter called "the approved supplier", which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs successors, executors and administrators of the one part and the Government of the State of Rajasthan (herein after called "the Government" which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.

02. Whereas the approved supplier has agreed with the Government to supply to the _____ of the State of Rajasthan at its Head Office as well as at branches offices throughout Rajasthan, all those articles set forth in the schedule appended hereto in the manner set forth in the conditions of the tender and contract appended herewith and at the rates set forth in column _____ of the said schedule.

03. And whereas the approved supplier has deposited a sum of Rs. _____ in _____.

(1) Cash/Bank Draft/Challan No./Banker Cheque No. _____ dated _____.

(2) Post Office Savings Bank Pass Book duly hypothecated to the Departmental authority.

(3) National Savings Certificates/Defence Savings Certificates, Kisan Vikas Patras, or any other script/instrument under National Saving Schemes for promotion of Small Savings, if the same can be pledged under the relevant rule. (The certificates being accepted at surrender value) as security for the due performance of the aforesaid agreement which has been formally transferred to the departmental authority.

04. Now these Presents witness:

(01) In consideration of the payment to be made by the Government through _____ at the rates set forth in the Schedule hereto appended the approved supplier will duly supply the said articles set forth in _____ and _____ thereof in the manner set forth in the conditions of the tender and contract.

(02) The conditions of the tender and contract for open tender enclosed to the tender notice No. _____ dated _____ and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.

(03) Letters Nos. _____ received from tenderer and letters nos. _____ issued by the Government and appended to this agreement shall also form part of this agreement.

(04) (a) The Government do hereby agree that if the approved supplier shall duly supply the said articles in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, the Government will through _____ pay or cause to be paid to the approved supplier at the time and the manner set forth in the said conditions, the amount payable for each and every consignment.

(c) The mode of Payment will be as specified below:-

1. _____ 2. _____ 3. _____

05. The delivery shall be effected and completed within the period noted below from the date of supply order :-

S. No.

Items Quantity

Delivery period

